वार्षिक रिपोर्ट
वर्ष 2011—12

संगिनी

जी -3/385 गुलमोहर कालोनी भोपाल मध्यप्रदेश

फोन 0755-4276158

पृष्ठभूमि

हर साल की तरह इस साल भी हम सब से संगिनी की उपलब्धियों को साझा करने का प्रयास कर रहे है संगिनी की स्थापना एक सोच के साथ हुयी थी एक ऐसी जगी जहॉ महिलायें कभी भी आ जा सके आनी हर बात को ुलकर कह सके अपनी परेशानी बॉट सके और आज हमें वो सोच सार्थक होती दिख रही है हम अगर बडें बड़े आकडों में न जाये तो ये आज ऐसी जगी बन गयाी है जहॉ महिलायें अपनी जगह समझ कर आ रही है बिना कोई लाग लपेट के अपनी बात कहती है यहॉ कभी तो वातावरण गमगाीन हो जाता है जब कोई अपनी आपबीती कहता है तो कभी हंसी के ठहाके गूंजतें है जब ये महिलाये अपनी रौ में होती है लेकिन सिर्फ यही पूरा सच नही है अस साल हम पुलिस लीगल एड व महिला बाल विकास के अधिकाहियों के सहयोग से कई महिलाओं को मदद कर पाये है । जमीनी स्तर पर महिलाओ व लड़कियों के छोटे संगठन बनाकर उनको उनके वजूद का अहसास कराते हुये उनमें नेतृत्व खमता का विकास कर सके है वो महिलायें जो घर की दहलीज पर जाने से बचती थी आज वो बगल में थैला टांगकर कभी कोंट तो कभी थाने के चक्तर लगाती है किसी महिला की ऑख के आसूं पोछती है । इस साल हमने औरतों की न्याय तक पहुॅच बनाने में सहयोग किया साथ ही साथ किशोार बालिकाओं के अधिकार के काम की शुरूआत की उनके अंदर के सवालों को जानने का प्रयास किया। तो घरेलू कामगार के अर्न्तपीड़ा उनके साथ होने वाले शोषण को मुक्त करान`हेतु उनके संगठन को मजबूत बनाने हेतु अन्य सहयोगी हाथों को बढ़ाया।

ये सभी कार्यक्रम पूर्णतया महिलाओं पर केन्द्रित थे जिन्हे कभी बंद क्लास रूम में प्रशिक्षण के रूप में किया गया तो कभी बस्ती बैठकों में या कभी किसी विभाग का विजिट करके । हमको इस वर्ष की पूरी यात्रा में डूडा महिला बाल विकास पुलिस श्रम विभाग इन सभी से पर्याप्त सहयोग मिला जिसके लिए हम सब उनका आभार व्यक्त करतें है ।

महिलाओं के इस संर्घष ने और अन्य लोगो के सहयोग ने हमारे साथियों में महिला अधिकारों पर काम करते रहने के जोश और जज्बे को और ज्यादा मजबूती दी है और अब हम फिर चल पडें है नई राह की ओर मंजिल की तलाश में ....

आभार समेत

प्रार्थना मिश्रा

संगिनी के बारे में

वर्ष 2003 में लैगिक मुद्दो पर सघन रूप से कार्य करने के उद्देश्य से संगिनी की स्थापना हुई। संगिनी नारीवादी विचारधारा की महिलाओं का एक संदर्भ केन्द्र है। संगिनी एक ऐसा मंच है जहॉ महिलाऍ एक जुट होती है एवं अपने हक के लिए बात करना सीखती है। महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलु एवं सामाजिक हिंसा के विरूद्ध आवाज उठाने के लिए साहस जुटाने की दक्षता प्राप्त करती है। यहॉ पर महिलाओं को कानूनी जानकारी प्रदान कर उनके साथ होने वाली हिंसा के विरूद्ध कानून का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। संगिनी उन महिलाओं की पैरवी के लिए कार्य करता है जो गरिब एवं वंचित वर्ग से है एवं जिनकी न्याय तक पहुॅच नहीं बन पायी है।

दृष्टि

संगिनी विभिन्न समुदाय की उन महिलाओं को चिन्हित करने का कार्य करती है जो गरीब एवं वंचित वर्ग से है जिनकी न्याय तक पहुॅच नहीं बन पायी है खासतौर पर दलित एव अनु.जा./जन.जाति एंव पिछडें वर्ग की महिलाओं के मुद्दो को केन्द्र में रखकर उनको न्याय दिलाने तथा उनके समुचित विकास के लिए कार्य करना।

लक्ष्य

संगिनी का मुख्य लक्ष्य सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त सभी प्रकार के लिंग भेद को समाप्त कर महिलाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरूक कर समाज में महिलाओं के लिए सम्मान एवं भय मुक्त समाज की स्थापना करना है ताकि महिलाओं को सभी प्रकार की गतिविधियों में भागीदारी के समान अवसर एवं संसाधन उपलब्ध हो सके।

हमारे कार्यक्रम

समूह की बैठकें

संगिनी ने इस वर्ष भोपाल की 15 बस्तियों में महिलाओं के समूह बनाये, जिनमें 1500 महिलायें जुड़ीं। इस दौरान उनकी साप्ताहिक व मासिक बैठको के माध्यम ये सूचना का अधिकार कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल विवाह कानून, दहेज कानून, भारतीय दण्ड संहिता तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट गिरफ्तारी जमानत मुचलका इत्यादि पुलिस कानून, बाल न्याय अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कानून तथा अधिकार, श्रम कानून,आंगनवाड़ी आदि विषयों पर जानकारी दी गयी। इन बैठको में संगिनी के कार्यकर्ताओं के अलावा बाहरी संस्थाओं के प्रकिनिधियों को विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया ।

प्रशिक्षण

1 घरेलू हिंसा पर प्रशिक्षण

घरेलू हिंसा पर संगिनी ने 14 व 16 जुलाई, 06 सितंबर, 10 नवंबर को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये । इन कार्यक्रमों में विभिन्न बस्तियों की क्रमशः 32, 40, 40, 65 महिलाओं के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग की उपसंचालक प्रेमा सेठी, जिला कार्यक्रम अधिकारी नकीजहॉ कुरैशी, अनुराधा पाराशर, जिला कोर्ट से न्यायाधीश सुश्री रश्मि मिश्रा, अधिवक्ता प्रशान्त पाठक, संगीता मोहरे भी उपस्थित रहे।

इस दौरान प्रेमा सेठी ने घरेलू हिंसा कानून एवं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा, धारा 2 एफ, धारा 2 एस, धारा 17, धारा 14, के बारे में विस्तार से बताया। सुश्री संगीता ने बताया कि घरेलु हिंसा कानून की धारा 23 के बारे में जानकारी दी।

2 बाल विवाह कानून प्रशिक्षण

संगिनी द्वारा बाल विवाह कानून पर महिला कार्यकर्ताओं क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से दो दिवसीय कार्यक्रम दिनांक 16 व 17 दिसंबर 2011 को आईकफ आश्रम में आयोजित किया गया। इसमें चाइल्ड लाइन की सुश्री अर्चना सहाय एवं महिला आयोग से श्री उमाशंकर नगाइच मुख्य प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान सुश्री सहाय ने बाल विवाह कानून पर विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को शारिरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर माना गया है इस अवस्था में बच्चे निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते है। अतः कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र की लड़की व 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह कराता है तो वो कानूनन अपराध माना जायेगा। श्री नगाइच ने जानकारी दी कि बाल विवाह से संबंधित शिकायत लेकर महिला बाल विकास या महिला थाने में जा सकते हैं। सत्र के दूसरे दिन

बाल विवाह अधिनियम 2006 पर विस्तार से चर्चा की गई। बाल विवाह कराने वाले सभी जिम्मेदार लोगों को कम से कम 2 साल की सजा एवं 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

सी आर पी सी / आई पी सी पर प्रशिक्षण

संगिनी ने सीआरपीसी और आई पी सी कानून पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 16–17 जनवरी 2012 को आई कफ आश्रम में आयोजित किया। इसका उद्देश्य बस्तियों की वंचित वर्ग की महिलाओं को पुलिस थाने में एफआईआर, पूछताछ, गिरफ्तारी और हिरासत में फर्क और उस्से संबंधित प्रावधान, पुलिस थाने में केस इत्यादी पर कानूनी जानकारी प्रदान करना था। इसमें पुलिस मुख्यालय से श्री त्रियंबक सप्रे मुख्य प्रशिक्षक रहे।

श्री सप्रे ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code, IPC) में विभिन्न अधिनियमों जैसे विविध अपराध अधिनियम, बिजली अधिनियम, आबकारी विभाग अधिनियमों के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि कौन–कौन से कार्य अपराध हैं व इनमें कितनी सजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि यदि थाने में आपकी शिकायत नहीं सुनी जा रही तो सी एस पी /एडिसनल एस पी/या एस एस पी को भी शिकायत की जा सकती है। इस दौरान श्री सप्रे ने जमानती अपराधों एवं कोर्ट में सुनवाई की तारीख किस प्रकार तय की जाती है आदि के बारे में भी जानकारी दी।

शिक्षा का अधिकार

महिलाओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 की जानकारी देने के उद्देश्य से संगिनी द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 15–16 फरवरी 2012 को आईकफ आश्रम में आयोजित किया। इसमें विभिन्न बस्तियों की 29 पैरा लीगल वर्कर सम्मिलित हुयीं। इस कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक भारत ज्ञान विज्ञान समिति के श्री राहुल शर्मा ने प्रशिक्षण प्रदान किया। श्री राहुल ने इस अधिनियम पर विस्तृत चर्चा करते हुये जानकारी दी कि भारत में अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा की बात कही है। उन्होंने बताया कि हमारी शिक्षण व्यवस्था में चार तरह के स्कूल हैं सरकारी, प्राइवेट, प्राइवेट पर सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त एवं विशेष श्रेणी के स्कूल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में विशेष श्रेणी के स्कूलों को छोड़कर सभी प्रकार के स्कूल इस अधिनियम के दायरे में रखे गये हैं।

दहेज व बलात्कार विरोधी कानून पर प्रशिक्षण

पीएलडब्ल्यू महिलाओं को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देने के उद्देश्य से संगिनी संस्था द्वारा दिनांक 16 –17 मार्च 2012 को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आईकफ आश्रम में आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न बस्तियों की 20 पीएलडब्ल्यू महिलायें सम्मिलित हुयीं। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमति संगीता मोहरीर व वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत पाठक जिला न्यायालय भोपाल प्रथम दिवस तथा अधिवक्ता मोहसीन खान व वी के सन्धु महिला हेल्प लाइन हबीबगंज भोपाल रहे। इस कार्यक्रम में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बलात्कार विरोधी कानून एवं उसकी अन्य धाराओं के बारे में विर्तृत जानकारी प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान की गई।

कार्यशाला

घरेलू कामगारों के मानवअधिकारें पर कार्यशाला

संगिनी द्वारा भोपाल की घरेलू कामगारों का एक द्विवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें घरेलू कामगारो के मुद्दे जैसे साप्ताहिक छुटटी सामाजिक सुरक्षा कार्यस्थल पर होने वाला उन्पीड़न पर चर्चा की गई कार्यकम्र में 97 प्रतिभागियो ने हिस्सा जिया तथा अपनी आप बीती सुनायी कार्यक्रम में घरेलू कामगारों की नेत्रियों न उनको सम्बोधित किया व अपने संर्घष व सफलता की कहानिया सुनायी ।

कार्यक्रम में डुडा के अधिकारी श्री हरेन्द्र शर्मा द्वारा शासन की ओर से चलायी जा रही घरेलू कामगार योजनी की जानकारी दी व सम्बन्धित सामग्री का वितरण भी किया गया ।

कार्यक्रम में विश्व घरेलू कामगार दिवस के आयोजन की रणनीति पर भी चर्चा हुयी ।

टीम उन्मुखी करण

संगिनी समय समय पर अपनी टीम के लिताकि टीम के सभी सदस्यों की क्षमताओं को बढ़ाने हेतु जेंडर पर टीम ओरीएंटेशन का कार्य किया जिसमें संगिली के काय्रकर्ताओं के अलावा बस्ती के समुदाय कार्यकर्ता भी शामिल रहे प्रशिक्षक के स्प में संगिनी की प्रार्िना मिश्रा ने अपनी भूमिका का निर्वाहन किया ।

जेंडर कार्यशाला

संस्था के सदस्यों कोसंसीागत विकास के प्रशिक्षण के तहत टीम बिलडिग मतभेद नेतृत्व सहभागिता आदि के बारें में श्री सत्य प्रकाश व प्रार्थना मिश्रा ने प्रशिक्षण प्रदान किया ।

दस्तावेजीकरण कार्यशाला

संस्था द्वारा संगिनी के कार्यकर्ताओं के लिए एक द्विवसीय दस्तावेजीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें दस्तावेजी करण क्या व इसकी हमारे काम में अहम भममिका क्यों है इस पर चर्चा के साथ डेली उायरी साप्ताहिक मासिक वार्षिक प्रतिवेदन कैसे तैसार करे इस पर श्रा सत्यप्रकाश द्वारा जानकारी दी गई टीम द्वारा लिखित अभ्यास भी किया गया

असरटिवनेस,पर कार्यशाला

संगिनी के सहयोग से लंदन की लीड यूनिवर्सिअी से डिवाइन एवं चारूरा, लुईस द्वारा संगिनी ताल व समावेश संस्था के प्रतिनिधियों ेितु एक द्विवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमे विथन्न प्रकार के अभ्यास केस वर्क आदि के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई ।

काउंसलिग पर कार्यशाला

लंदन की ही लीड युनिवर्सिटी व संगिली के माध्यम से बस्ती की नेतृत्वकर्ताओं व संगिनी ताल समावेश के कार्यकर्ताओं हेतु काउंसलिग पर एक द्विवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें काउंसलिग के तरीके काउंसलिग के नियम वच सिद्वान्त पर चर्चा गई साथ ही साथ प्रतिभागियों को केस स्टडी के माध्यम ये अभ्यास कराया गया साथ ही साथ रोल प्ले के जरिये भ काउंसलिग पर प्रकाश डाला गया । संदर्भ व्यक्ति के रूप मे यूके की लीड यूनिवर्सिटी से डिवाइन, सेरिन, एवं रूथ ने प्रशिक्षण देका सभी प्रतिभागियों को प्रमाण प़त्र प्रदान किये।

महिला नीति पर कार्यशाला

संगिनी के माध्यम ये भोपाल स्तर राज्य की महिला नीति पर बैठको व कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें भोपाल की विभिन्न बस्ती की समुदाय कार्यकर्ताओं व संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल की पिछली नीति की समीक्षा की गई साथ में विषय विषेश पर काम करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियो को इस पर गहन अध्ययन करने को कहा गया ।

इसके अलावा संगिनी के द्वारा हिसां के मुद्वे पर विभिन्न विभागों द्वारा क्या प्रयास किये गये है यह जानने का प्रयास किया गया।

बाहरी संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण

संगिनी द्वारा समय समय पर बाहरी संस्थाओं दवं प्रतिनिधियों के लिए भी प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता रहा है इस वर्ष प्रशासन अकादमी ताल डेवलपमेंन्ट अल्टरनेटिव आदि के कार्यकर्ताओं विथनन विभागों के कर्मचारियों के लिए जेन्डर एंव काग्रस्थल पर यौन उत्पीडन ,घरेलू हिसां पर सन्र्दभ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करने का काग्र किया गया।

विधिक सहायता शिविर

साईबाबा नगर

बस्ती की महिलाओं को घरेलू हिंसा कानून 2005 की जानकारी देने के उद्देश्य से संगिनी संस्था ने दुर्गा चौक सॉई बाबा नगर में दिनांक 21 जुलाई 2011 को विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया। शिविर में सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की श्रीमति आशा पाठक, एडवोकेट प्रकाश सिंह प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित थे। बस्ती की 44 रहवासी इस शिविर में उपस्थित थे। कैम्प में महिलाओं को घरेलू हिंसा कानून 2005 पर जानकारी देने के साथ–साथ हिंसा से पीड़ित महिलाओं की समस्या समाधान में भी सुझाव दिये। इस मौके पर सुश्री आशा पाठक ने संरक्षण अधिकारी के कार्यों के बारे में जानकारी दी।

दामखेड़ा

पुष्प विद्यालय दामखेड़ा सर्वधर्म कोलार रोड भोपाल में भी विधिक सहायता शिविर दिनांक 22 जुलाई 2011 को आयोजित किया गया। इसमें बस्ती के 68 प्रतिभागी शिविर में सम्मिलित हुये। शिविर में जिला विधिक सहायता से न्यायाधीश एंव रजिस्ट्रार श्री विष्णु कुमार सोनी, प्रथम श्रेणी न्यायधीश श्रीमति रश्मि मिश्रा,

विधिक सहायता प्रकोष्ठ से श्री बी.एम.सिंह, जिला न्यायालय के अधिवक्ता श्री प्रशांत पाठक तथा कोलार थाना प्रभारी श्री नदीम खान प्रमुख वक्ता रहें।

बाबा नगर

संगिनी संस्था द्वारा विधिक सहायता शिविर शिव मन्दिर, बाबा नगर भोपाल में दिनांक 23 सितंबर 2011 को आयोजित किया गया। इस शिविर में बस्ती के 76 प्रतिभागी सम्मिलित हुये।शिविर में सेन्टर फॉर सोशल जस्टिस से वकील सुश्री सहाना, एवं सुश्री रमा बंसल प्रमुख वक्ता रहे। कैम्प में महिलाओं को घरेलू हिंसा कानून 2005 पर जानकारी देने के साथ साथं हिंसा से पीड़ित महिलाओं की समस्या समाधान में भी सुझाव दिये।

बंजारी

संगिनी द्वारा विधिक सहायता शिविर शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम बंजारी कोलार भोपाल में दिनांक 26 नवंबर 2011 को आयोजित किया गया। इसमें बस्ति के 31 प्रतिभागी सम्मिलित हुये। शिविर में सेन्टर फार सोशल जस्टिस से आशा पाठक व संगिनी से अंजनी सम्मिलित हुईं

मीरा नगर

संगिनी संस्था ने विधिक सहायता शिविर हनुमान मन्दिर के पास मीरा नगर अरेरा कालोनी भोपाल में दिनांक 29 नवंबर इस शिविर में बस्ती के 129 प्रतिभागी सम्मिलित हुये। विधिक सहायता शिविर में जिला न्यायालय से न्यायधीश सुश्री आरती आर्य, पुष्पा तिवारी,वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत पाठक एवं विधिक सेवा प्राधिकरण से मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बी.एम. सिंह प्रमुख वक्ता रहे।

कृष्णा नगर

संस्था द्वारा विधिक सहायता शिविर का आयोजन 12 न. स्टॉप कृष्णा नगर अरेरा कालोनी भोपाल में दिनांक 30 नवंबर 2011 को किया गया शिविर का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रुण हत्या से संबंधित कानून पर सामुदायिक लोगो को जानकारी देना था। इसमें बस्ती के 73 प्रतिभागी सम्मिलित हुये। शिविर में विधिक सहायता की ओर से न्यायाधीश रामसहारे राज एवं हेमन्त सविता तथा बी.एम.सिंह प्रमुख वक्ता रहे।

जागरूकता शिविर,

कृष्णा नगर

महिलाओं व बस्ती के रहवासियों को शासकीय योजनाओं पर जानकारी देने के उद्देश्य से संगिनी संस्था ने 12 न. स्टॉप कृष्णा नगर अरेरा कालोनी भोपाल में दिनांक 28 मार्च 2012 को जागरूकता शिविर का आयोजन किया। बस्ती के 91 प्रतिभागी शिविर में सम्मिलित हुये। शिविर में डूडा की ओर से सामुदायिक समन्वयक श्री हरेन्द्र सिंह मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाओं जैसे घरेलू कामगार योजना, मजदूर कार्ड, स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना इत्यादि की जानकारी दी।

साईंबाबा नगर

संगिनी ने जागरूकता शिविर सामुदायिक भवन, साईंबाबा नगर भोपाल में दिनांक 29 मार्च 2012 को आयोजित किया। शिविर का मुख्य उद्देश्य शासकीय योजनाओं पर सामुदायिक लोगो को जानकारी देना रहा बस्ती के 106 प्रतिभागी शिविर में सम्मिलित हुये। इस शिविर में भी डूडा की ओर से सामुदायिक समन्वयक श्री हरेन्द्र सिंह मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी।

बाबा नगर

पीएलडब्ल्यू महिलाओं के लिये संगनी संस्था ने भोपाल में दिनांक 30 मार्च 2012 को आयोजन किया शिविर का मुख्य उद्देश्य महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं व सेवाओं की जानकारी देना रहा बस्ति के 32 प्रतिभागी शिविर में सम्मिलित हुये। महिला एवं बाल विकास परियोजना से श्री अमर नाथ शर्मा, संगिनी से प्रार्थना मिश्रा संदर्भ व्यक्ति के रूप में उपस्थित हुये। इस शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्धारा संचालित सेवाओं की जानकारी तथा योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

फिल्म शो :–

महिलाओं में कानूनी समझ विकसित करने के उद्देश्य से संगिनी संस्था ने विभिन्न बस्तियों में फिल्म–शो का आयोजन किया। बोल बसंतो नामक यह फिल्म हिन्दु विवाह अधिनियम, बाल विवाह, प्रापर्टी के अधिकार विषयों पर केन्द्रित थी। जिस पर फिल्म के बाद कानूनी पहलुओं पर चर्चा भी की गई।

साईं बाबा नगर

महिलाओं में कानूनी समझ विकसति करने के उद्देश्य से संगिनी संस्था ने सामुदायिक भवन, साईंबाबा नगर भोपाल में दिनांक 26 नवंबर 2011 को फिल्म शो का आयोजन किया। बस्ती की 31 रहवासीयों ने फिल्म “बोल बसंतो” देखी साथ ही साथ कानूनी चर्चा कर संदर्भ व्यक्ति से संबधित मुद्धों पर प्रश्न किये ।

बाबा नगर

संगिनी ने प्राइवेट प्रायमरी स्कूल बाबा नगर भोपाल में दिनांक 07 दिसंबर 2011 को फिल्म शो का आयोजन किया बस्ति की 51 “बोल बसंतो” देखी। फिल्म शो का संचालन व चर्चा बस्ती की सामूआयिक नेतुत्वकर्ता संध्या दाहिया मंजू पटेल ने की उन्होने फिल्म से जुड़े मुद्वो पर महिलाओं की शंका का समाधान भी किया ।

मीरा नगर

संगिनी ने प्राइवेट आंगनवाड़ी भवन मीरा नगर भोपाल में दिनांक 28 जनवरी 2012 को दोपहर एक बजे से चार बजे तक प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्म “बोल बसंतो” दिखायी गयी। इसे बस्ति की 40 महिला रहवासीयों ने देखा। फिल्म में मुख्य किरदार बसंतो नाम की महिला का है जो कि एक पी.एल.डब्ल्यु की भूमिका में नजर आती है। फिल्म शो का संचालन मीरा नगर की पी.एल.डब्ल्यु. सिन्धु बघेल, ज्योति नरवड़े कौशल्या देशमुख ने मिलकर किया।

साईंबाबा नगर

दुर्गा चौक सॉईबाबा नगर में दिनांक 06 मार्च 2012 महिला दिवस पर फिल्म शो का आयोजन किया गया। बस्ती की 28 फिल्म "बोल बसंतो" देखी।

कार्यक्रम के दौरान संगिनी से श्रीमती कुसुम मिश्रा ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन ज्योति एवं प्रमिला पाटिल ने किया महिलाओं ने इा कार्यक्रम में कुछ केस पर भी प्रकाश डाला ।

मीरा नगर

संगिनी संस्था द्वारा 14/03/2012 को दो जगह – शशी गोस्वामी के घर, एवं ममता बावनकर के घर मीरा नगर में फिल्म शो का आयोजन किया गया । बस्ति की 38 रहवासीयों ने हिन्दु विवाह अधिनियम, बाल विवाह, प्रापर्टी के अधिकार विषयों पर केन्द्रि फिल्म "बोल बसंतो" देखी। इस दौरान दीपाली, लता एवं कौशल्या देशमुख ने शो का संचालन किया जिसमें महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। शो के बीच बीच में लता ने महिलाओं को कानूनी बातों को समझने में मदद की।

दामखेड़ा

दिनांक 15/03/2012 को दामखेड़ा, बी सेक्टर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय भवन में फिल्म शो का आयोजन प्रोजेक्टर के माध्यम से किया गया। फिल्म शो के 65 प्रतिभागी दामखेड़ा बस्ति की महिलायें एवं पी.एल.डब्ल्यु सदस्य रहे। कार्यक्रम के दौरान ममता, संजीव, सुनील व तमन्ना बी ने शो का संचालन किया जिसमें महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया।

बंजारी

दिनांक 29/03/12 को आंगनवाड़ी केन्द्र बंजारी क्या आपको पता है ं फिल्म शो का आयोजन किया गया । फिल्म शो के 27 प्रतिभागी बंजारी बस्ती की सामुदायिक महिलायें किशोरियां एवं पी.एल.डब्ल्यु सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ममता एवं माया चौहान ने किया ।फिल्म शो के माध्यम से महिलाओं को बलात्कार छेड़छाड़ दहेज घरेलू हिसां सम्पत्ति के कानूनी मामलेां में होने वाली सजा के बारे में जानकारी मिली।

एक्सपोज़र विज़िट

हबीबगंज थाना, भोपाल

21 सितम्बर 2011 को संगिनी के माध्यम से थाना हबीबगंज भोपाल का एक्सपोजर विजिट किया गया जिसमें 15 महिला पी.एल.डब्ल्यु. इस विजिट में सम्मिलित हुई। इसका उद्‌देश्य पुलिस विभाग की कार्यस्थल को देखना व उनकी कार्यप्रणाली को समझना था। हबीबगंज थाना प्रभारी श्री सुरेश दामले से मुलाकात की। श्री दामले ने पुलिस स्टेशन के स्टाफ उनकी जिम्मेदारियों एवं केस विजिट आदी के बारे में जानकारी दी। साथ ही सासाथ श्रीमती बी के सन्धु ने पुलिस से जुड़ी सवालों व उत्सुकताओं का समाधान किया ।

कोलार थाना, भोपाल

दिनांक 13 अक्टूबर 2011 को संगिनी थाना कोलार भोपाल का एक्सपोजर विजिट किया गया जिसमें 14 पी.एल.डब्ल्यु. इस विजिट में सम्मिलित हुई। पूर्व विजिट के उद्‌देश्य को ध्यान में रखते हुए पूर्व तैयारी हेतु सभी पी.एल. डब्ल्यु सदस्यों ने पूर्व बैठक की एवं ली जाने वाली जानकारी को सूचीबद्ध किया । कोलार थाने के अतिरिक्त थाना इंचार्ज सब इन्सपेक्टर नितिन अंब्लावत ने थाने की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। यहां पर महिला लॉकप एवं बच्चों को रखे जाने के बारे में जानकारी भी दी।

शाहपुरा थाना, भोपाल

31 अक्टूबर 2011 को थाना **शाहपूरा** भोपाल का एक्सपोजर विजिट किया गया जिसमें 9 पी.एल.डब्ल्यु. इस विजिट में सम्मिलित हुए। विजिट से पूर्व विजिट के उद्‌देश्य को ध्यान में रखते हुए पूर्व तैयारी हेतु बैठक की। थाना शाहपुरा के टी.आई श्री जगेत ने थाने की कार्यप्रणाली संबंधित जानकारी प्रदान की। उन्होंने वारंट जमानत लॉकअप के बारे में भी विजिटर्स को जानकारी दी।

श्रम विभाग, भोपाल

31 अक्टूबर 2011 को श्रम विभाग कार्यालय भोपाल का एक्सपोजर विजिट किया गया जिसमें 16 पी.एल. डब्ल्यु. इस विजिट में सम्मिलित हुए। विजिट का उद्‌देश्य पी़ एल़ डब्ल्यु की श्रम कानून व श्रम विभाग से सम्बन्धित जानकारी का स्तर बढाना था। श्रम विभाग की ओर से स्टाफ श्री एन के निगम ने सबसे पहले पी़ एल़ डब्ल्यु को बताया कि श्रम कानून मजदूर वर्ग के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है उन्होने बचचों महिलाओं व कमजोर वर्ग के लोगो के लिये श्रम विभाग के कार्यक्रमों की जानकरी दी व लाभ प्राप्ति के लिए प्रक्रिया से मौजूद लोगों को अबगत कराया ।

जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, भोपाल

दिनांक 31 अक्टूबर 2011 को कलेक्ट्रेट कार्यालय भोपाल का एक्सपोजर विजिट किया गया जिसमें 22 पी. एल.डब्ल्यु. सम्मिलित हुए। विजिट का उद्‌देश्य पी़ एल़ डब्ल्यु को संबंधित कार्यालय का भ्रमण कर विभाग से संबंधित योजनाओं व प्रकिया की जानकारी देना था, ताकि जरूरत पढ़ने पर अपनी एवं समुदाय के अन्य लोगो की मदद कर सकें। यहां ADM श्री बसंत कुर्रे से मुलाकात की श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव (सहायक परियोजना अधिकारी) ने अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी।

इसके बाद सदस्यों ने जिला कार्यालय में पैरा लीगल वर्करों ने योजना समन्वयक, अपर कलेक्टर से भी मुलाकात की उन्होंने अपने विभाग में होने वाले कामों की जानकारी दी तथा अन्य संबंधित विभागों के बारे में बताया। इसके बाद पैरा लीगल वर्कर शिक्षा विभाग से संबधित कार्यालय गये वहां उन्हे शिक्षा के अधिकार कानून के संबंधित में जानकारी मिली।

इसी प्रक्रिया के तहत पैरा लीगल वर्कर श्रम कानून विभाग के कमीश्नर से मिले। पैरा लीगल वर्करो ने राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया, जाति–प्रमाण पत्र, आय–प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिचय पत्र एवं लायसेंस इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त की।

नगर पालिका कार्यालय, भोपाल

4 जनवरी 2012 को दामखेड़ा क्षेत्र की 27 चयनित पीएलडब्ल्यू महिलाओं को नगर पालिका चीचली बैरागढ़ का भ्रमण संबंधित योजनाओं के विषय में जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से कराया गया। सी.ओ. श्री पाठक से पैरा लीगल वर्करो ने मुलाकात की। श्री पाठक ने श्रम कानून में मजदूरों के लिये रखी गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। इस संबंध में संजना रिछारिया ने विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि श्रम कानून में मजदूर उसे माना है जो किसी निर्माण कार्य में श्रम कर रहा है। इसके उपरान्त सुश्री संजना ने आवेदक पैरा लीगल वर्करो को छात्रवृति के फार्म भी वितरीत किय। इसी दौरान श्री पाठक ने स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिए चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी तथा श्री अनुप सिंह ने पेंशन योजना के बारे में बताया।

जिला अदालत, भोपाल

11 जनवरी 2012 को भोपाल जिला न्यायालय भोपाल में 20 पी एल डब्ल्यू ने भ्रमण किया। भ्रमण का मुख्य उद्देश्य अदालती कार्यवाही की प्रक्रिया समझना रहा। इसमें साईं बाबा नगर, मीरा नगर, क्रष्णा नगर, दामखेडा, बंजारी, एवं साई बाबा नगर की महिलायें सम्मिलित हुई। सर्वप्रथम सभी पी एल डब्ल्यू महिलाओं ने रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात की। उन्होंने विजिट के उद्देश्य को ध्यान में रखकर 5–5 महिलाओं के 4 समूह बनाये तथा पॉच अलग अलग बैंचों की कार्यवाही देखने व सुनने की अनुमती दी तथा जहां पीएलडब्ल्यू महिलाओं ने कोर्ट की कार्य–प्रणाली को जाना व समझा।

नजूल कार्यालय, भोपाल

21 मार्च 2012, को 4 पी.एल.डब्ल्यु. बारह दफ्तर के भ्रमण हेतु तहसीलदार, नजूल कार्यालय की भूमिका एवं कार्यालयीन प्रक्रिया से अवगत कराने के उद्देश्य से गये। यहां संयुक्त कलेक्टर (एस डी एम) श्री उमा शंकर भार्गव से मिलकर जन्म/मृत्यू प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र बनाये जाने की जानकारी प्रदान की गई। एस डी एम श्रीमती आशा खरे ने कार्यालय के सभी कक्षों में हमारी टीम को भ्रमण कराने व उनमें संचालित होने वाले कार्यों की जानकारी प्रदान की।

राज्य महिला आयोग, भोपाल

संगिनी द्वारा महिला आयोग की बैंच की कार्यवाही की प्रक्रिया समझने के उद्देश्य से 22 मार्च 2012 को राज्य महिला आयोग, श्यामला हिल्स, भोपाल में 8 प्रमुख सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने भ्रमण किया। जब हमारे सदस्यों को आयोग की कार्यवाही को देखने एवं समझने का अवसर मिला। उस समय एक केस की सुनवायी थी कि महिला आयोग की भूमिकर भी काफी सकारात्मक दिखी वहॉ महिला की पूरी बात ाके धैर्य से सुनी गया व महसूस किया गया के यहॉ महिलाओं के साथ संवेदनशीलता बरती जाती है साथ ही साथ यदि सबूत उस महिला के पक्ष में होते हैं तो बैंच महिला के पक्ष में ही निर्णय सुनाती है।

राज्य मानव अधिकार आयोग, भोपाल

दिनांक 26 मार्च 2012 को मानवाधिकार आयोग पर्यावास भवन अरेरा हिल्स भोपाल का न्याय तक पहुँच कार्यक्रम के अंतर्गत 10 पीएलडब्ल्यू महिलाओं का विभागीय भ्रमण किया गया। यहां डीएसपी श्री लल्ली साहब ने पहले हमारी टीम के द्वारा उनके काम व आने के उद्वेश्य को सुना तत्पश्चात उन्होने मानवाधिकार की भूमिका पर जानकारी देते हुए बताया कि मानवाधिकार के संरक्षण के लिए 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। उन्होंने यहां पर आवेदन करने की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यप्रणालियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। भ्रमण से लौटने के प्श्चात उन्होने हमसे फीड बैक भी मॉगे जिसे हमारी कार्यकर्ताओं ने उनको दिया व सुझााव भी दियें ।

पेंटिंग प्रतियोगिता

संगिनी संस्था द्वारा विभिन्न बस्तियों में समुदाय में और अधिक जागश्रकता उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से विभिन्न स्थानों पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से बस्ती की महिलाओं व लड़के लड़िकयो में में घरेलू हिंसा शिक्षा, बाल विवाह, दहेज कानून, आदि मुद्दों पर अपनी समझ को अभिव्यक्त करने की क्षमता को बढ़ाना था। सभी प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को पेंटिंग से संबंधित सामग्री संगिनी द्वारा ही उपलब्ध कराई गई थी।

मीरा नगर

28 फरवरी 2012 को हनुमान मन्दिर मीरा नगर भोपाल में पेंटिंग कांम्पिटिशन का आयोजन किया गया। इसमें 59 प्रतिभागी थे जिसमे मीरा नगर बस्ती की महिलायें एवं पी.एल.डब्ल्यु सदस्य शामिल थे। जिसमें बस्ती की महिलाओं ने घरेलू हिंसा शिक्षा, बाल विवाह, दहेज कानून, आदि मुद्दों पर अपनी समझ को प्रर्दशित करते हुये उनके समाधान को अपनी कला के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया ।

बाबा नगर

दिनांक 27 फरवरी 2012 को बाबा नगर भोपाल में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बाबा नगर की 26 प्रतिभागी महिलायें एवं पी.एल.डब्ल्यु सदस्य शामिल थे। प्रतियोगिता के प्रारंभ में सभी प्रतियोगियो को ममता संध्या व मंजु ने ड्राइंग शीट,पेंसिल वितरीत की ओर कार्यकम्र के बारे में जानकारी दी । प्रतियोगियों ने अपनी शीट पर शिक्षा का अधिकार बाल विवाह दहेज प्रथा एवं घरेलू हिंसा पर चित्रकला का प्रदर्शन किया।

बाबा नगर फेस टू

बाबा नगर बस्ति में समूह की महिलाओं द्वारा दहेज प्रताडना, घरेलू हिंसा, शिक्षा का अधिकार, इत्यादी विषयों पर अपनी समझ को अभिव्यक्ति की क्षमता का प्रदर्शन चित्रकला एवं लेखन द्वारा करने के लिये दिनांक 29 जनवरी 2012 को पेंटिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन मंदिर के सामने का चबूतरा, बाबा नगर, में किया गया इसमें समूह तथा बस्ति की 21 महिलायें सम्मिलित हुयीं। यहां भी सभी की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही व सराहनीय चित्रकला बनायी।

मीरा नगर

दिनांक 28 जनवरी 2012 को शेड के पास, मीरा नगर भोपाल में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मीरा नगर बस्ति की महिलायें एवं पी.एल.डब्ल्यु सदस्य समेत इसमें 45 प्रतिभागी शामिल थे। कार्यक्रम की शुरूआत में संगिनी की लता द्वारा गीत गाकर कार्यक्रम की शुरूआत की गई प्रतियोगिता मे और समझा विकसित करने के उद्धेश्य से पोस्टर प्रर्दशनी का आयोजन भी किया गया।

प्रदर्शनी

25 नवंबर 2011 को भोपाल के 12 नंबर स्टाप में पोस्टर प्रदर्शिनी के आयोजन किया गया जिसमें 111 महिला प्रतिभागी सम्मिलित हुये।

विभिन्न तरह की कार्यक्रमों, गतिविधियों, रैली, कार्यशालाओं व अभियानों के अंतर्गत संगिनी द्धारा तैयार पोस्टर प्रर्दशनी के माध्यम से औरतो के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ पोस्टर प्रर्दशनी का प्रर्दशन किया गया। इसमें वे पोस्टर भी सम्मिलित रहे जिन्हें वंचित वर्ग की महिलाओं द्वारा अलग अलग प्रतियोगिताओं के दौरान तैयार किया गया था।

13 रोड शो

प्रत्येक वर्ष नवरात्रि का त्यौहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है लोग कन्या पूजन करते है देवी स्वरूᵖ कन्याओं के पैर पूजते है वही दूसरी ओर लड़कियों के साथि छेड़खानी बलात्कार आदि की घटनायें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन कर रह गई है ऐसे में संगिनी द्वारा दिनांक 3 नवंबर 2011 को लड़कियों के अधिकारों को सुरक्षित करने की मॉग को लेकर भोपाल के माता मंदिर से लड़िकयों के अधिकार समानता शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे मुद्वों पर झांकी निकालकर रोड शो आयोजत किया गया इस कार्यकम्र मे बस्ती की महिलाओं ने अपनी बेटियो को अधिकारों का स्वरूप प्रदान कर यात्रा निकाली साथ ही साथ पोस्टर पम्पलेट आदि का प्रर्दशन व वितरण किया ।

विभिन्न दिवसों का आयोजन

घरेलू कामगार दिवस

संगिनी द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2012 को घरेलू कामगार संघ भोपाल की ओर से घरेलू कामगार दिवस के अवसर पर मनीषा मार्केट भोपाल में घरेलू कामगार दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता घरेलू कामगार महिला संघ की महा मंत्री श्रीमती प्रार्थना मिश्रा ने की। इस दौरान सभी घरेलू कामगार महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रार्थना मिश्रा ने घरेलु कामगार दिवस के बारे में जानकारी देते हुये महिला कामगारों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होने की सलाह दी। घरेलू कामगार महिलाओं ने कामगार महिला दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया। इस दौरान भजन, गीत आदि से उपस्थित महिला कामगारों ने एकदूसरे का मनोरंजन किया। इस दौरान महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया तत्पश्चात खेलों में जीतकर आई महिलाओं और बस्ती मे अच्छा काम करने वाली महिलाओं को संगिनी की कुसुम व प्रार्थना मिश्रा ने पुरुस्कार वितरित कर उन्साहवर्धन किया

महिला दिवस

दिनांक 8 मार्च 2012 महिला दिवस के अवसर पर दुर्गा चौक सॉईबाबा नगर में महिला दिवस का आयोजन किया गया जिसमें कुसुम मिश्रा जी द्वारा सभी को महिला दिवस के महत्व व पृष्ठभूमि पर जानकारी दी महिलाओं ने कार्यक्रम के दौरान गीत प्रस्तुत किये व अपने संघर्ष की कहानियॉ सुनायी जिस पर संस्था की श्रीमति कुसुम मिश्रा ने महिलाओं को संबोधित करते हुये कहा कि जैसे हर रात के बाद सुबह जरूर होती है वैसे ही हर संर्घष के बाद सफलता जरूर मिलती है बस आवश्यकता है र्धय बनाये रखने की वा सही मार्ग चुनने की । इस दौरान मौजूद महिलाओं ने अपनी–अपनी सहभागिता देते हुए विभिन्न कानूनों पर प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित की गई जानकारी साझा की। कार्यक्रम का समापन बाल बंसतों फिल्म के प्रर्दशन के साथ किया गया ।

मानव अधिकार दिवस

संगिनी ने 10 दिसंबर 2011 को मानव अधिकार दिवस संगिनी कार्यालय में मनाया। इस दिन संस्था के साथ जुड़ी दस बस्तियों की महिला नेत्री इसमें सम्मिलित हुयीं। कार्यक्रम के दौरान संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई और कहा गया संविधान में समानता का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद महिलओं को उनके बुनियादी अधिकार नही प्राप्त है कही उन्हे कोख में ही मार दिया जाता है कही दहेज के नाम पर जलाया जाता है और जिस जगह हम न्याय की उममीद करते है वहॉ भी हमें अनसुनी की दिया जाता है । इस कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने कानूनी अधिकारों को मजबूत बनाने की बात की व तय किया कि हमस ब अपने कानमनी अधिकारों के प्रति जागरूक होगे ताकि समय असाने पर उनका उपयोग कर सके ।

11 प्रकाशन

संगिनी का एक प्रमुख काम सामाजिक संस्थाओं और अन्य सक्रिय व्यक्तियों को महिला विकास विषयक संदर्भउलब्ध कराना भी है। आपनी इस भूमिका के बारे में संगिनी ने इस वर्ष घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 पर पुस्तकों का प्रकाशन किया। साथ ही साथ लड़कियों के साथ होने वाली छेड़खानी व औरतों के साथ हिसां के मुद्दे पर पम्पलेट पोस्टर का प्रकाशन व वितरण का कार्य किया गया ।

साथ ही साथ संगिनी ने महिला सशक्तिकरण के बारे में सूचनाओं और जानकारियों का संग्रहण तथा वितरण किया।

हिंसा की घटनाओं में हस्तक्षेप

पिछले कई वर्षों से संगिनी महिलाओं के मुद्दों पर हस्तक्षेप करती आयी है। इस वर्ष भी हमने भोपाल व भोपाल जिले के बाहर के भी मामलों में हिंसा से पीड़ित 70 महिलाओं को महिलाओं को न्याय दिलवाने का प्रयास किया जिसमें पुलिस सहयोग आश्रय परार्मश आदि के काय्र प्रमुख रहें ।

साथ ही साथ कोर्ट में लीगल एड के सहयोग से केस दर्ज करवाना, पारिवारिक समझाइश का कार्य किया भी किया गया ।

Our Board Members

Name of Board Members	Designation
Ms. Snehalata	President
Ms.Neelam Kulshresth	Vice-President
Ms.Prarthana Mishra	Secretary
Ms. Tehseen Khan	Treasure
Ms. Asha Sikarwar	Member
Ms. Ruchi Sharma	Member
Ms. Babita Gupta	Member

Advisory Committee

1. Monica Vinayak Sen	Development consultant
2. Dr. Arti Jain	Medical Practitioner
3. Mr. Prashant Pathak	Sr. Lawyer
4. Mrs asha pathak	social worker
5. Mrs Neelam chaturvedi	social worker

Our team

1. Prarthana Mishra	Programme director
2. versha srivastava	Programme coordinator
3. anju singh	Field coordinator
4. anita jhodee	Field coordinator
5. Tamnna	Field associate
6. Mamta	Field associate
7. Lata suryavansi	Field associate
8 Kusum Mishra	Counselors
9 Nitisha	Support Staff

Sexual Harassment Committee at Sangini

1 Kusum Mishra	chair person
2 Lata	Member
3 Prarthana Mishra	Member
4 Anju	Member
5 Versha	Member
6Tamnna	Member
7 Mamta Chowhan	Member
8 Anita	Member
9. Nimisha	Members